अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०...से...तक

जिला.., सं०.., सन् १९..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
	न्यायालय, आयुक्त,कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः-76/2023** **कमलेश्वरी यादव एवं अन्य................अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **शम्भू यादव एवं अन्य....................रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद कमलेश्वरी यादव व नथुनी यादव, पिता-स्व0 लेल्हाय यादव, सा0-बरहकुरवा, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल के भूमि विवाद वाद सं0-50/2022-23 में दिनांक-10.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में स्वत्व का जटिल प्रश्न (Complex Question of Title) सन्निहित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत अपील आवेदन को पोषणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें। ह0/- 3/8/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। ह0/- 3/8/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2226/विधि सहरसा, दिनांक 10-8-2022

प्रतिलिपि :– कमलेश्वरी यादव व नथुनी यादव, पिता–स्व0 लेल्हाय यादव, सा0–बरहकुरवा, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।